राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी ,चूरू

हनुमानगढी मंदिर के पास तारानगर रोड,चूरू

क्रमांकः– 1207 दिनांकः–30.7.18

श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय,
राजस्थान,उदयपुर।

विषय :– शिकायत सं. 7180274026480 दिनांक 23.07.18 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सम्पर्क पोर्टल के द्वारा शिकायत सं. 7180274026480 दिनांक 23.07.18 के में शिकायतकर्ता श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा शिकायत की गयी है कि चूरू में देशी शराब से दो भाइयों सहित तीन लोगों की हुई मौत के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

प्रकरण में आबकारी निरीक्षक वृत राजगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

1. पुलिस थाना राजगढ में दर्ज FIR NO 151 दिनांक 12.06.18 में मृतकों के विषय में रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही मृतकों की मृत्यु का कारण पता चल पायेगा।
2. आबकारी निरीक्षक व सहायक आबकारी अधिकारी,चूरू द्वारा घटना स्थल के आस–पास कि मदिरा दुकानात के सेम्पल लिये गये जिनकी जांच प्रयोगशाला में करायी जाने पर मिथाईल एल्कोहल नेगेटिव पाया गया ।
3. आबकारी निरीक्षक द्वारा निरन्तर गश्त कर संधिग्ध स्थानों पर रेड की कार्यवाही की जा रही है।
4. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,चूरू द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ द्वारा मिलावटी शराब के सेवन से मानवीय श्रति रोकने के लिए दिनांक 12.06.18 को ग्राम मानपुरा व आस–पास के इलाके में मिलावटी शराब की संभावित बिक्री को ध्यान में रखते हुए संभावित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सा शिविर लगाकर आवश्यकता अनुसार डोर टु डोर स्वास्थ्य परिक्षण कराया गया जिसमें कोई मिलावटी शराब व मानवीय श्रति की रिपोर्ट प्राप्त नही हुई ।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

जिला आबकारी अधिकारी
चूरू

Scanned by CamScanner